

**जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 22-03-2021**

आज दिनांक 22.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य -

**सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 07 वारण्टी गिरफ्तार**

**थाना दुधारा पुलिस द्वारा** दविश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1- विकास पुत्र हरिभजन निवासी राजापुर सरैया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2- छांगुर हरिजन पुत्र पुतई हरिजन निवासी बासिन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहा

**थाना धनघटा पुलिस द्वारा** दविश के दौरान 05 वारण्टी नाम पता 1- रामवृक्ष पुत्र केदार निवासी नरायनपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2 – रामकृपाल पुत्र पांचू 3 – कुंचन पुत्र चंद्रभान 4 – जयचंद्र पुत्र बासुदेव निवासी बैडारी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 5 – रब्बुल हुसैन पुत्र मुहम्मद रजा निवासी खर्ची धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण** - उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्र, उ0नि0 विवेकानन्द तिवारी, कां0 रामचन्द्र, का0 राजन खरवार, का0 अमेरिका प्रसाद।

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना धनघटा पुलिस द्वारा 20-10** ली0 कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – राजेन्द्र पुत्र सुभाष निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 20 अवैध कच्ची शराब के साथ 2 – प्रदीप पुत्र रामजीत निवासी मुण्डेरवा शुक्ल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 135 / 2021 व 136 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीम** – उ0नि0 विवेकानन्द तिवारी उ0नि0 राजेन्द्र सिंह यादव, कां0 अमेरिका प्रसाद, कां0 संतोष यादव, का0 जयराम कां0 दिलीपा

### **शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### **पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 3311 द्वारा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत नेहिया खुर्द से इवेन्ट संख्या 04454 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट मे घायल व्यक्ति को जरिये एंबुलेंस सीएचसी मलौली पहुंचाया गया तथा घटना के संबन्ध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट मे घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जाना बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –आ0 अभय सिंह, हो0चा0 धर्मेन्द्र कुमार ।

### **मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 295 वाहनो से 226200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 22.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 295 वाहनो से 226200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।